न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
77 / 2024 / प्रा.पत्र / 2024	16.11.2024	28.11.2024

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण, टोंक
............प्रार्थी

बनाम

1–श्री हबीब नूर पुत्र श्री मोहम्मद शफीक निवासी गली नसवरान काफला टोंक जिला टोंक एफ. बी.ओ. मैसर्स गांधी आईसक्रीम फैक्ट्री बर्फ वालों की गली अमीरगंज बाजार टोंक जिला टोंक राज. पिनकोड–304001 मोबाईल नं. 9251361224।

2–मैसर्स गांधी आईसक्रीम फैक्ट्री बर्फ वालों की गली अमीरगंज बाजार टोंक जिला टोंक राज.। पिनकोड–304021

............अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थी श्री हबीब नूर स्वयं उपस्थित।

:–निर्णय–: **दिनांक 28.11.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.05.2024 को समय 03:30 पी.एम. पर मैसर्स गांधी आईसक्रीम फैक्ट्री वर्फ वालों की गली अमीरगंज बाजार टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रता की हैसियत से श्री हबीब नूर पुत्र श्री मोहम्मद शफीक अपने प्रतिष्ठान मैसर्स गांधी आईसक्रीम फैक्ट्री वर्फ वालों की गली अमीरगंज बाजार जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री हबीब नूर पुत्र श्री मोहम्मद शफीक को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री हबीब नूर पुत्र श्री मोहम्मद शफीक ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में आईस केण्डी, आईसक्रीम व बर्फ के साथ–साथ दुकान/प्रतिष्ठान के डीप फ्रीजर में लगभग 3000 नग **कुल्फी (दूध,कस्टर्ड पावडर व चीनी निर्मित)** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री हबीब नूर पुत्र श्री मोहम्मद शफीक को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री हबीब नूर एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **कुल्फी (दूध,कस्टर्ड पावडर व चीनी निर्मित)**

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, दुकान के डीप फ्रीजर में लगभग 3000 नग कुल्फी में से 40–45 **कुल्फी (दूध,कस्टर्ड पावडर व चीनी निर्मित)** को अच्छी तरह हिला मिलाकर पिघलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर स्टील के एक जग में कुल मात्रा 1200 ग्राम **कुल्फी (दूध,कस्टर्ड पावडर व चीनी निर्मित)** खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1200 ग्राम **कुल्फी (दूध,कस्टर्ड पावडर व चीनी निर्मित)** को साफ एवं सूखे प्लास्टिक की साफ व सूखी 4 शिशियों में प्रत्येक में 300–300 ग्राम कुल्फी भरकर चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 24–24 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला मिलाकर डिब्बों के ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–4032 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4032 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/758 दिनांक 26.06.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/1657/एक्ट/2024 /1937 दिनांक 28.05.2024 के अनुसार विकेता से वास्ते नमूना जांच कय किया गया **कुल्फी (दूध,कस्टर्ड पावडर व चीनी निर्मित)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विकेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री हबीब नूर स्वयं उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **कुल्फी(दूध,कस्टर्ड पावडर व चीनी निर्मित)** का विक्रय कर रहे थे वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है, उक्त कुल्फी जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **कुल्फी (दूध,कस्टर्ड पावडर व चीनी निर्मित)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.11.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0